न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 44 / 2022
जीसीएमएस : 2022 / 547

01. शिव कुमार पुत्र श्री सीताराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
02. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
03. सीताराम पुत्र श्री आशाराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रार्थीगण

बनाम

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. सुशील कुमार पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. अनुसूईया पुत्री श्री पृथ्वीराज पत्नी अमन धारणियां जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी 2 पी.एस.डी. ढाणी।
4. सरिता पत्नी सुशील कुमार जाति बिश्नोई साकिन उड़सर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

–:अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

तारीख रजू:– 28.11.2022

उपस्थित अधिवक्ता:–
1. श्री दिनेश कुमार जोशी प्रार्थीगण अधि.।
2. श्री राजाराम धारणियां अप्रार्थी सं. 1 ता 4।

दिनांक 29.01.2026

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के पास चक 1 एम.के(ए) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मु0नं0 45 प0नं0 117 / 291 में 3.542 है0 बारानी व मु0नं0 6 प0नं0 118 / 286 के किला नं0 1 में 0.125 है0, 2 में 0.152 है0, 3 में 0.152 है0, 4 में 0.152 है0, 5 में 0.152 है0, किला नं0 15–16 सालम, 24 / 1 में 0.240 है0, 25 / 1 में 0.228 है0 कुल 1.734 है0 नहरी भूमि इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 5.276 है0 नहरी व बारानी व प्रार्थी सीताराम के पास चक 1 एम.के.(ए) के मु0नं0 44–45–6 व 38 की 4.971 है0 कृषि भूमि में 1 / 6 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी सं. 3 के पास चक 1 एम.के(ए) के अन्य मु0 के अतिरिक्त मु0नं0 6 प0नं0 118 / 286 के किला नं0 21–22–23 प्रत्ये[illegible] 24 / 3 में 0.013, 25 / 2 में 0.025 है0 नहरी इस प्रकार उक्त मुरब्बे में [illegible] नहरी कृषि भूमि कब्जा काश्त में है। चक [illegible] एम.के(ए) [illegible] रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मु0नं0 6 [illegible] 118 / 286 के कि[illegible]नं0 1 में 0.152 है0, 2 में 0.152 है0, 3 में [illegible] है0, [illegible] में 0.152 [illegible] 5 में 0.152 है0, किला नं0 15–16 सालम, [illegible] में 0.240 है0, 25 / 1 में 0.228 है0 कुल 1.734 है0 नहरी भूमि व चक 1 एम.के(ए) के अन्य मुरब्बों के

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:11 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

अतिरिक्त मु0नं0 6 प0नं0 118/286 के किला नं0 21–22–23 प्रत्येक सालम व 24/2 में 0.013, 25/2 में 0.025 है0 नहरी इस प्रकार उक्त मुरब्बे में 0.797 है0 नहरी कृषि भूमि अन्य खातेदार/खातेदारों की जोत की विशिष्टियां जिनमें से अपेक्षित भूमिगत पाईपलाइन बिछाने/नया मार्ग खोलने/ किसी विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौडा करने का आशय रखता है। अप्रार्थी स0 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता की चक 1 एम.के(ए) के मु0नं0 6 प0नं0 118/286 के किला नं. 6–7–8–13–14–17–18 प्रत्येक 0.253 है0 इस प्रकार 1.771 है0 नहरी व मु0नं0 15 प0नं0 119/287 के किला नं0 1 ता 25 में 6.036 है0 नहरी व 0.162 है0 खाला, मु0नं0 24 प0नं0 119/288 में 1.035 है0 नहरी इस प्रकार तीनों मुरब्बों में कुल 8.842 है0 नहरी, 0.162 है0 खाला इस प्रकार कुल 9.004 है0 नहरी मय खाला कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण के उक्त भूमि में किला नं0 6 में पूर्व में प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने मुरब्बा नं0 6 के किला नं0 1 ता 5 को सिंचित करने हेतु 5 इंची पाईपलाइन प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने अप्रार्थीगण की सहमति से आज से 10–12 वर्ष पूर्व बिछा रखी है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थीगण की चक 1 एम.के(ए) के मु0नं0 6 प.नं0 118/286 के किला नं0 6–7–8–13–14–17–18 प्रत्येक 0.253 है0 इस प्रकार 1.771 है0 नहरी में पड़ने वाली कृषि भूमि के किला नं0 6 के पूर्वी तरफ $1^{1/2}$ (डेढ बिस्वा) बिस्वा कृषि भूमि बतौर रास्ता प्रार्थीगण स्थायी रूप से स्वीकृत करवाना चाहते है, क्योंकि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की मु०नं० 06 में पडने वाली कृषि भूमि में प्रार्थीगण के लिए आने जाने हेतु चक 1 एमके की एमके माईनर नहर के उत्तरी तरफ बने 16 फुट से अधिक चौडा पटडा जो रास्ते के रूप में काश्तकारो द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उक्त पटडे को प्रार्थी के किला नं. 5 के उत्तर में पडने वाली नहर की तरफ पुली बनी हुई है जो प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के किला नं. 5 के बिल्कुल पास पड़ती है, यहां से प्रार्थीगण अपने किला नं. 5 में प्रवेश कर अप्रार्थीगण के किला नं. 6 के पूर्व में डेढ बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाकर प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 अपने मुरब्बा नं. 6 के शेष किलेजात संख्या 15–16–25–24–23–22–21 में जाना चाहते है अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार राजस्व को भू धारक होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि जोत चक 1 एमके ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर के मु०नं० 6 पं०नं0 118/286 के किला नं. 1 में 0.152 है0, 2 में 0.152 है0, 3 में 0.152 है0, 4 में 0.152 है0, 5 में 0.152 है0, किला नं0 15–16 सालम, 24/1 में 0.240 है0, 25/1 में 0.228 है0 कुल 1.734 है0 नहरी भूमि व चक 1 एमके ए के अन्य मुरब्बो के अतिरिक्त मु०नं० 06 प0नं0 [illegible] के किला नं. 21–22–23 प्रत्येक सालम व 24/2 में 0.[illegible] 25/[illegible] में 0.025 है० नहरी इस प्रकार उक्त मुरब्बे [illegible] में काश्त करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या [illegible] के कब्जा [illegible] व 5 के राजस्व रिकॉर्ड में भू–धारक होने के कारण [illegible] भूमि चक 1 एमके ए के मु०नं० 06 पं०नं० 118/286 के किला [illegible] 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18 प्रत्येक 0.253 है। इस प्रकार 1.771 है। नहरी मे पडने वाली कृषि भूमि के किला नं0 6 के पूर्वी तरफ $1^{1/2}$(डेढ बिस्वा) बिस्वा रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

स्वीकृत किया जावे, उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि को काश्त करने के अन्य मार्ग का अभाव है, प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि जोत के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव है, चाहा गया रास्ता अतिआवश्यक है, ये केवल मात्र प्रार्थीगण की सुविधा के लिए नहीं है, प्रार्थीगण चाहे गये रास्ते के अनुपात में निर्धारित प्रतिकर का भुगतान करने अथवा रास्ते के बराबर भूमि देने के लिए तैयार है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में रास्ते को विधिवत स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे, जो कि न्यायोचित होगा।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की तरफ से श्री राजा राम धारणियां अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित मुरब्बा नं. 44–45–38 की बारानी भूमि से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई संबंध नहीं है मुरब्बा नं. 6 में कि.नं. 6 ता 8–13 व 14, 17 व 18 की कुल 1.771 है. भूमि हम अप्रार्थीगण सुरेन्द्र कुमार–सुशील कुमार अनुसुईया व सरिता की संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि है मु.नं. 6 में किस खातेदार (प्रार्थीगण) के नाम से कितनी भूमि है यह अंकित नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि की अस्पष्टता प्रकट की गई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मुरब्बा नं. 6 के उत्तर में एम के नहर है तथा दक्षिण पश्चिम में ग्राम उड़सर की आबादी स्थित है एम के नहर पर बने पुलिया को जब तक आबादी से रास्ता के जरिये नहीं जोड़ा जाता है तब तक किसी भी अधूरे रास्ता का कोई प्रयोजन नहीं रहता है गांव उड़सर जहां पर कि चक 1 एम. के. ए. व एम.के.बी. के कश्तकारों की रिहायश है यह आबादी चक 1 एम.के.ए. के मुरब्बा नं. 36 व 37 में स्थित है जहां से मुरब्बा नं. 35 के कि.नं. 1 ता 5 मुरब्बा नं. 24 के कि.नं. 1 ता 5 व 1–10–11–20–21 मुरब्बा नं. 25 के कि.नं. 1 ता 5 में स्वीकृत शुद्वा रास्ता है मुरब्बा नं. 25 के उत्तर मे चिपता हुआ मुरब्बा नं. 14 है तथा मु.नं. 14 के उत्तर में चिपता हुआ मुरब्बा नं. 6 स्थित है तथा मुरब्बा नं. 14 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में व मुरब्बा नं. 6 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में पूर्व में रास्ता चालू था जिसे मुरब्बा 14 के खातेदारान ने बन्द कर दिया। यही रास्ता आबादी उड़सर की एम के नहर पर बनी पुलिया से जोड़ता है। अप्रार्थीगण के कथनानुसार जो रास्ता चाहा गया है उस प्रस्तावित रास्ता को गांव उड़सर से जोड़ने के लिये लगभग 4 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। प्रस्तावित रास्ता किसी प्रकार से उचित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता रजिशवश चाहा गया है क्योकि अप्रार्थी पक्ष के सन्तोषकुमार का प्रार्थी सतपाल के लड़के अमन उर्फ सोनू ने हत्या कर दी तथा हत्या का मुकदमा सतपाल के लड़के के विरूद्व विचाराधीन है इस रंजिश की वजह से ही प्रार्थीगण द्वारा अनुचित व लम्बे रास्ता की मांग की जा रही है यह कि बाके चक 1 एमकेए के मुरब्बा नं. 25 के कि.न. 1 ता 5 में [illegible] रास्ता को आगे बढ़ाते हुये मुरब्बा नं. 14 के कि.नं. 5–6–15–[illegible]–25 [illegible] मुरब्बा नं. 6 के कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में से 0.013 है. [illegible] रास्ता को स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी[illegible] से यदि यह चालू रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो [illegible] उड़सर के समस्त काश्तकारों का रास्ता के जरिये एम के नहर पर बने पुलिया व

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

पुलिया से पार स्थित गांवों से सीधा संबंध हो जाता है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी को रास्ता की सुविधा उपलब्ध होती है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाया जाकर वाके चक 1 एम.के.ए के मुरब्बा नं. 14 व 6 के कि.नं. 5–6–15–16–25 में से प्रस्तावित व चालू रास्ता को स्वीकृत फरमाया जावे।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/856 दिनांक 23.05.2024 मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण के नाम वाके चक 1 एमकेए खाता संख्या 138 प.नं. 118/286 मु.नं. 6 के कि.नं. 1 ता 5–15–16–24/1–25/1 कुल 1.734 है. नहरी भूमि राजेन्द्र कुमार–शिवकुमार पि. सीताराम 2/3 हि. सीताराम पुत्र आशाराम 1/3 हि. जाति बिश्नोई साकिन उड़सर के नाम से खातेदार दर्ज रिकार्ड है रकबा रहन है अप्रार्थीगण के नाम चक 1 एमकेए खाता सं. 59 प.नं. 118/286 मु.नं. 6 के कि.नं. 6 ता 8–13–14–17–18 कुल रकबा 1.771 है नहरी भूमि अनुसुईया पु पृथ्वीराज 1/8 हि. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मनीराम 1/2 हि. सरिता पत सुशील कुमार 1/8 हि., सुशील कुमार पुत्र पृथ्वीराज 1/4 हि. जाति बिश्नोई साकिन उड़सर के नाम से खातेदार दर्ज रिकार्ड है रकबा रहन है। प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है प्रार्थीगण नहर के पटड़े से अपने रकबा चक 1 एमकेए प.नं. 118/286 मु.नं. 6 के कि.नं. 1 ता 5 में आवागमन मौके पर कर रहा है किन्तु इसी मु.नं. 6 के कि.नं. 15–16–24–25 में जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीगण नहर के पटडा से अपने रकबा मु.नं. 6 के कि. नं. 5 से अपना रकबा कि.नं. 15 में जाने के लिये मु.नं. 6 के कि.नं. 6 में 0.018 है. कुल 0.018 है. रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की है उक्त रास्ता निकटतम दूरी पर है प्रार्थी रास्ता का रकबा कि.नं. 6/0. 018 है. के बदले चिपता रकबा देने को तैयार है अतः चक 1 एमकेए प.नं. 118/286 मु.नं. 6 के कि.नं. 6 में 0.018 है. पूर्व दिशा में उतर से दक्षिण की ओर रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

4. बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थी के पास उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा अपने खेत में आने–जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है मौका रिपोर्ट में तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा भी रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा की गई। इसलिए उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना मय काउन्टर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि प्रार्थी के पास अपने खेत में आने–जाने के लिए रास्ते है अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज किया जावे।

5. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर पढ़ा उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शे का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है प्रार्थीगण का चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

है यह कथन तहसीदार की मौका रिपोर्ट में अंकित है प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रायसिंहनगर की जांच रिर्पोट के तथ्यो के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251 क स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 1 एमकेए प.नं. 118/286 मु.नं. 6 के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनों को क्रमशः कि.नं. 5–6 में 1–1/2 बिस्वा रास्ता दोनों पक्षों द्वारा उपयोग/उपभोग करने के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि के बदले भूमि या डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि देने की आवश्यकता नहीं है कि.नं. 5–6 प्रत्येक में 1–1/2–1–1/2 बिस्वा पूर्वी तरफ **गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।** निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:11 IST
Reason: SelfAttested